पंजीकरण प्रमाण-पत्र (प्रपत्र-1 ड)

चीनी उद्योग, को-जनरेशन एवं आसवनी प्रोत्साहन नीति-2013 के अन्तर्गत

कम्पनी /इकाई को पंजीकृत किये जाने का प्रमाण पत्र

संख्या-08/2017/पंजी0-03एस0सी0/18-2-17-64/2013

प्रेषक,

संजय आर. भूसरेड्डी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

श्री एम0 मुत्थूजोथी,
कार्यकारी निदेशक
मै0 डी0सी0एम0 श्रीराम लि0,
5वाँ तल, कंचनजंगा भवन,
18-बारहखंभा रोड,
नई दिल्ली-110001

चीनी उद्योग अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 25 अगस्त, 2017

विषय- चीनी उद्योग, को-जनरेशन एवं आसवनी प्रोत्साहन नीति-2013 के अन्तर्गत पंजीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया शासन के पत्र संख्या-पंजी0-17एस0सी0/18-2-16-64/2013 दिनांक 15.06.16 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से चीनी उद्योग, कोजनरेशन एवं आसवनी प्रोत्साहन नीति-2013 के अन्तर्गत मै0 डी0एस0सी0एल0 शुगर लि0 अजबापुर में स्थापित कोजनरेशन प्लाण्ट की क्षमता विस्तार हेतु पंजीकरण प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया था।

2- इस सम्बन्ध में गन्ना एवं चीनी आयुक्त के माध्यम से प्राप्त आपके आवेदन दिनांक 04.05.17 के क्रम में आपकी कम्पनी/इकाई को चीनी उद्योग, को-जेनरेशन एवं आसवनी प्रोत्साहन नीति-2013 के अन्तर्गत को-जेनरेशन की संशोधित क्षमता विस्तार के लिए पंजीकृत किया जाता है:-

क्र0 सं0	चीनी मिल/को-जेनरेशन /आसवनी का नाम	नई स्थापना/ क्षमता विस्तार	स्थापित क्षमता/ विस्तारित क्षमता	गांव, तहसील एवं जनपद नाम
1	मै0 डी0एस0सी0एल0 शुगर लि0 1- कोजनरेशन प्लान्ट	क्षमता विस्तार	34.4 मेगावाट से 54.4 मेगावाट	ग्राम-अजबापुर तहसील-मुल्लापुर जनपद-लखीमपुर खीरी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(1)- पंजीकरण के पश्चात् कम्पनी/इकाई द्वारा गन्ना आयुक्त को परियोजना के संबंध में मासिक प्रगति आख्या प्रस्तुत की जायेगी एवं परियोजना के क्रियान्वयन का नियमित अनुश्रवण गन्ना आयुक्त द्वारा किया जायेगा। उक्त अनुश्रवण परियोजना की पूर्णता एवं व्यावसायिक उत्पादन प्रारम्भ होने तक किया जायगा।

(2)- यह स्पष्ट किया जाता है कि केवल पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर कम्पनी/इकाई नीति के अन्तर्गत देय छूटों/रियायतों को प्राप्त करने हेतु अनुमन्य नहीं हो जाती हैं, फलस्वरूप नीति की शर्तों के अनुपालन करने तथा व्यावसायिक उत्पादन प्रारम्भ करने पर ही विभिन्न शासनादेशों में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार कम्पनी/इकाई को नीति के अन्तर्गत देय छूटों/अनुदान एवं अन्य रियायतें अनुमन्य होंगी। व्यावसायिक उत्पादन प्रारम्भ करने से पूर्व कम्पनी/इकाई केवल भूमि के क्रय पर देय स्टाम्प ड्यूटी एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क की छूट प्राप्त कर सकती है, जिसकी व्यवस्था कर एवं निबंधन विभाग के संबंधित शासनादेश में दी गई है।

(iii)- व्यावसायिक उत्पादन प्रारम्भ होने के पश्चात् विभिन्न शासनादेशों में दी गई व्यवस्था के अनुसार नीति के अन्तर्गत देय सुविधाओं को प्राप्त करने हेतु आवेदन कम्पनी/इकाई द्वारा निर्धारित प्रारूपों में गन्ना आयुक्त को प्रस्तुत किया जायेगा।

भवदीय,

(संजय आर. भूसरेड्डी)
प्रमुख सचिव।

संख्या-08/2017/पंजी-03(1)एस0सी0/18-2-17 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4- प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5- प्रमुख सचिव/सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6- प्रमुख सचिव/सचिव, आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7- प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8- गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
9- आयुक्त व्यापार कर, उत्तर प्रदेश।
10- सम्बन्धित जिलाधिकारी।

आज्ञा से,

(नरेश बहादुर)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in